

# अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

## उनवान

1. श्री लालु पिता घीसा बलाई निवासी धनेरिया तहसील मावली।

.....वादी

## बनाम

1. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी मोहनलाल धोबी निवासी मकान संख्या 437, कॉलोनी आमलियों की मंगरी भुवाना, उदयपुर तहसील गिर्वा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली तहसील, मावली।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 11 / 25 (वाद) जीसीएमएस : 2025 / 23

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-  
वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा चंगेडी पटवार हल्का, चंगेडी तहसील, मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 848 पर दर्ज आराजी का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1	पुष्पादेवी पत्नी मोहनलाल धोबी निवासी आमलियों की मंगरी शिव मन्दिर के पीछे भुवाणा, उदयपुर तहसील गिर्वा	856 / 2	0.4910	बा.द्वि.	0.65
				बीड	0.19
	योग	किता-01	0.4910	-	0.84
2	लालु पुत्र घीसा बलाई सा. देह खातेदार	856 / 1	0.2455	बा.द्वि.	0.42
	योग	किता-01	0.2455	-	0.42

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **19.02.2026** को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर (FT) मावली  
जिला उदयपुर

